अब पूरे विकास खंड को ही कृषि उत्पाद क्लस्टर बनाने की तैयारी

50 हेक्टेयर के क्लस्टर में 20-20 हेक्टेयर जुड़े होने की शर्त होगी खत्म

महेंद्र तिवारी

कृषि निर्यात नीति की विसंगति दूर करने का मसौदा तैयार, कैबिनेट से ली जाएगी मंजूरी

लखनऊ। प्रदेश सरकार कृषि निर्यात के प्रोत्साहन में बाधक बन रही विसंगतियों को दूर करने जा रही है। इसके लिए कृषि उत्पादों के क्लस्टर निर्माण में बाधक 20-20 हेक्टेयर कृषि भूमि आपस में जुड़े होने की शर्त हटाने के साथ उसे सुविधाजनक बनाने का प्रस्ताव है। सरकार जल मार्ग का परिवहन भाड़ा अनुदान वायु परिवहन भाड़ा के बराबर करने पर भी विचार कर रही है। कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन में लगने वाले समय को कम करने के उपाय भी प्रस्तावित हैं। इससे संबंधित कैबिनेट प्रस्ताव पर संबंधित विभागों से विचार विमर्श की कार्यवाही चल रही है।

'अमर उजाला' ने 22 सितंबर के अंक में कृषि निर्यात नीति-2019 की खामियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इन खामियों की वजह से चार वर्षों में एक भी कृषि निर्यात क्लस्टर नहीं बन सका। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खामियों से संबंधित फीडबैक का संज्ञान लिया गया है।

निर्यात क्लस्टर के लिए वर्तमान में न्यूनतम 50 हेक्टेयर कृषि भूमि 20-20 हेक्टेयर की निरंतरता में होने की शर्त है। क्लस्टर न बन पाने में इसे सबसे बड़ी बाधा को हटाया जा रहा है। अब निर्यात क्लस्टर के लिए 50 हेक्टेयर का दायरा बढ़ाकर पूरा विकास खंड करने का प्रस्ताव है। इससे ब्लॉक क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान निर्यात क्लस्टर का हिस्सा बन सकेंगे। समूह में काम करने वाले छोटे किसानों को भी क्लस्टर से प्राप्त होने वाली आय में लाभांश प्राप्त हो सकेगा।

जल परिवहन भाड़ा भी होगा 10 रुपये प्रति किग्रा

सरकार निर्यात के लिए माल भाड़ा प्रोत्साहन की विसंगति भी दूर करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में वायु मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान 10 रुपये प्रति किलोग्राम व जल मार्ग से 5 रुपये प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो है। किसान वायु व जल मार्ग का परिवहन अनुदान बराबर करने की मांग कर रहे हैं। शासन ने वायु व जल मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान बराबर 10 रुपये प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत जो भी कम हो (पोर्ट तक उत्पाद पहुंचाने का मार्ग खर्च सहित) करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित संशोधन पर मुहर लगी तो इसका सबसे बड़ा लाभ छोटे निर्यातकों को होगा। परिवहन अनुदान प्रति वर्ष अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति निर्यातक/फर्म होगी। मांस व चीनी के निर्यात पर यह यह लाभ नहीं मिलेगा।

रेल मार्ग पर भी अनुदान का प्रस्ताव

वर्तमान में सड़क मार्ग से निर्यात पर परिवहन अनुदान 5 रुपये प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत देने की व्यवस्था है। शासन ने सड़क की तरह जल मार्ग से निर्यात पर परिवहन भाड़ा दिए जाने का प्रस्ताव जोड़ा है।

क्लस्टर सूची के विस्तार, संशोधन व वित्तीय स्वीकृति में आएगी तेजी

फसलों व उत्पादों की क्लस्टर सूची के विस्तार व संशोधन तथा निर्यात क्लस्टर में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए स्थापित इकाई, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, राइपेनिंग चैंबर आदि की स्थापना पर मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन वर्तमान में राज्य स्तरीय निगरानी समिति के स्तर से स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था है। इस कार्यवाही में तेजी के लिए यह जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति को देने का प्रस्ताव है।

सफलता की राह हुई और